



## उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार—249404

संख्या: 235 / 01 / डी०आर०(डिग्री) / सेवा—2 / 2021—22

दिनांक : 09 नवम्बर, 2023

### अनर्हता सूची

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर (राजकीय महाविद्यालय) चयन—2021 के विज्ञापन दिनांक 04 दिसम्बर, 2021, विज्ञप्ति दिनांक 19 जनवरी, 2022 एवं दिव्यांगजन के पदों हेतु शुद्धिपत्र दिनांक 23.12.2022 द्वारा प्राप्त ऑनलाइन आवेदन पत्रों में अंकित ए०पी०आई० स्कोर के आधार पर शार्टलिस्टिंग परिणाम दिनांक 13 अप्रैल, 2022 तथा दिनांक 29 मार्च, 2023 को घोषित किया गया, जिसमें सफल अभ्यर्थियों से दिनांक 04 मई, 2022 तथा दिनांक 20 जनवरी, 2023 तक अभिलेख प्राप्त किये गये थे। जिसके क्रम में असिस्टेंट प्रोफेसर, अर्थशास्त्र (Economics) विषय के कतिपय अभ्यर्थियों को तालिका के कॉलम—03 के अनुसार मा० आयोग द्वारा अनर्ह किया गया है:—

S.NO	Roll NO	कार्यालय टिप्पणी
(1)	(2)	(3)
1.	506116	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. अभ्यर्थी से विभागीय अनापत्ति प्रमाण—पत्र वांछित है।</li> <li>2. विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने के कारण अनर्ह किया गया है।</li> </ul>
2.	506171	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. अभ्यर्थी विज्ञापन में विहित अनिवार्य शैक्षिक अर्हता के अन्तर्गत पी०ए०डी० उपाधि धारित है।</li> <li>2. अभ्यर्थी द्वारा पी०ए०डी० का दावा किया गया है। पी०ए०डी० के प्रोविजनल सर्टिफिकेट में पी०ए०डी० उपाधि धारित करने की तिथि 12.03.2022 अंकित है, जो कि विज्ञापन के अनुसार अनिवार्य शैक्षिक अर्हता धारित करने की अन्तिम तिथि 24.12.2021 तक है, उक्त के क्रम में अभ्यर्थी अनिवार्य शैक्षिक अर्हता धारित नहीं करती है।</li> <li>3. विज्ञापन के अनुसार अनिवार्य शैक्षिक अर्हता के अन्तर्गत पी०ए०डी० विज्ञापन की अन्तिम तिथि तक धारित न किये जाने के कारण अभ्यर्थी को अनर्ह किया गया है।</li> </ul>
3.	506172	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. अभ्यर्थी द्वारा रिसर्च पब्लिकेशन, टीचिंग अनुभव एवं अवार्ड से सम्बन्धित दावा किया गया है। विषय—विशेषज्ञों द्वारा रिसर्च पब्लिकेशन के दावे को सही माना गया है, परन्तु टीचिंग अनुभव श्रेणी में 10 अंक के स्थान पर 00 (शून्य) अंक अनुमन्य किये गये हैं तथा अवार्ड श्रेणी में 03 के स्थान पर 00 (शून्य) अंक अनुमन्य किये गये हैं, जिस कारण अभ्यर्थी का कुल ए०पी०आई० स्कोर 91 अंक के स्थान पर 78 अंक होना है। अर्थशास्त्र विषय में GEN श्रेणी का कट—ऑफ स्कोर 91 है। अभ्यर्थी कट—ऑफ में स्थान धारित नहीं करता है।</li> <li>2. अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत पी०ए०डी० उपाधि में विषय का उल्लेख नहीं किया गया है।</li> <li>3. विज्ञापन के परिशिष्ट—3 में यू०जी०सी० के मानक के अनुसार पी०ए०डी० की उपाधि धारित करने से संबंधित प्रमाण पत्र वांछित है। जिसमें विषय का स्पष्ट उल्लेख किया गया हो।</li> <li>4. अर्थशास्त्र विषय में GEN श्रेणी के कट—ऑफ में स्थान धारित न करने एवं</li> </ul>

		पी0एच0डी0 (Ph.d) के लिए यू0जी0सी0 के मानक के अनुसार परिशिष्ट-3 प्रमाण पत्र उपलब्ध न कराने के कारण अनर्ह किया गया है।
4.	506200	<ol style="list-style-type: none"> <li>अभ्यर्थी द्वारा परास्नातक एवं पी0एच0डी0 उपाधि वाणिज्य विषय में धारित है। अर्थशास्त्र विषय में स्नातकोत्तर एवं पी0एच0डी0 नहीं है, तदक्रम में अभ्यर्थी अनिवार्य शैक्षिक अर्हता धारित नहीं करती है।</li> <li>विज्ञापन के अनुसार अनिवार्य शैक्षिक अर्हता के अन्तर्गत परास्नातक एवं पी0एच0डी0 उपाधि अर्थशास्त्र विषय में धारित न करने के कारण अनर्ह किया गया है।</li> </ol>
5.	506263	<ol style="list-style-type: none"> <li>अभ्यर्थी से विभागीय अनापत्ति प्रमाण—पत्र वांछित है।</li> <li>विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध न करने के कारण अनर्ह किया गया है।</li> </ol>
6.	506359	<ol style="list-style-type: none"> <li>अभ्यर्थी द्वारा परास्नातक अर्थशास्त्र तथा पी0एच0डी0 ईन कृषि (कृषि अर्थशास्त्र) में धारित है।</li> <li>विज्ञापन के अनुसार अनिवार्य शैक्षिक अर्हता के अन्तर्गत पी0एच0डी0 अर्थशास्त्र विषय में धारित न करने के कारण अनर्ह किया गया है।</li> </ol>
7.	506412	<ol style="list-style-type: none"> <li>अभ्यर्थी से विभागीय अनापत्ति प्रमाण—पत्र वांछित है।</li> <li>विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने के कारण अनर्ह किया गया है।</li> </ol>
8.	506413	<ol style="list-style-type: none"> <li>अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत पी0एच0डी0 परिशिष्ट-3 में सक्षम प्राधिकारी की मोहर नहीं हैं, तदक्रम में पी0एच0डी0 (Ph.d) के लिए यू0जी0सी0 के मानक के अनुसार परिशिष्ट-3 में प्रमाण पत्र मोहर सहित वांछित है।</li> <li>पी0एच0डी0 (Ph.d) के लिए यू0जी0सी0 के मानक के अनुसार परिशिष्ट-3 में वैध प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने के कारण अनर्ह किया गया है।</li> </ol>
9.	506449	<ol style="list-style-type: none"> <li>अभ्यर्थी से विभागीय अनापत्ति प्रमाण—पत्र वांछित है।</li> <li>विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने के कारण अनर्ह किया गया है।</li> </ol>
10.	506494	<ol style="list-style-type: none"> <li>अभ्यर्थी से विभागीय अनापत्ति प्रमाण—पत्र वांछित है।</li> <li>विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने के कारण अनर्ह किया गया है।</li> </ol>
11.	506503	<ol style="list-style-type: none"> <li>अभ्यर्थी द्वारा रिसर्च पब्लिकेशन, टीचिंग अनुभव एवं अवार्ड से सम्बन्धित दावा किया गया है। विषय—विशेषज्ञों द्वारा टीचिंग अनुभव श्रेणी के दावे को सही माना गया है, परन्तु रिसर्च पब्लिकेशन में 04 अंक के स्थान पर 02 अंक अनुमन्य किये गये हैं तथा अवार्ड श्रेणी में 03 के स्थान पर 00 (शून्य) अंक अनुमन्य किये गये हैं, जिस कारण अभ्यर्थी का कुल ए0पी0आई0 स्कोर 84 अंक के स्थान पर 79 अंक होना है।</li> <li>अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत स्नातक अन्तिम वर्ष की अंकतालिका में कुल प्राप्तांक 462 अंकित है, जबकि अभ्यर्थी द्वारा ए0पी0आई0 में 932 अंक का दावा करते हुए 66 % अंकों के आधार पर 19 अंक प्राप्त किये गये हैं परन्तु अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अंक तालिका में 462 अंकों के आधार पर 33 % के ए0पी0आई0 में 00 (शून्य) अंक अनुमन्य हो गें। अभ्यर्थी का कुल ए0पी0आई0 स्कोर 79 अंक के स्थान पर 60 अंक होना है। अर्थशास्त्र विषय में GEN/UF श्रेणी का कट-ऑफ स्कोर 84 है। अभ्यर्थी कट-ऑफ में स्थान धारित नहीं करता है।</li> <li>अभ्यर्थी से विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र वांछित है।</li> <li>अर्थशास्त्र विषय में GEN/UF श्रेणी की ए0पी0आई0 कट-ऑफ में स्थान धारित न करने के कारण एवं विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने के कारण अनर्ह कर किया गया है।</li> </ol>

12.	<b>506508</b>	1. अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र एवं अभिलेख एम०बी०ए० उपाधि से सम्बन्धित उपलब्ध कराये गये हैं। अर्थशास्त्र विषय में स्नातकोत्तर नहीं है, तदक्रम में अनिवार्य शैक्षिक अर्हता धारित नहीं करता है। 2. विज्ञापन के अनुसार अनिवार्य शैक्षिक अर्हता के अन्तर्गत परास्नातक अर्थशास्त्र विषय में धारित न करने के कारण अनर्ह किया गया है।
13.	<b>506513</b>	1. अभ्यर्थी से विभागीय अनापत्ति प्रमाण—पत्र वांछित है। 2. विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने के कारण अनर्ह किया गया है।
14.	<b>506517</b>	1. अभ्यर्थी से विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र वांछित है। 2. विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने के कारण अनर्ह किया गया है।
15.	<b>506529</b>	1. अभ्यर्थी से विभागीय अनापत्ति प्रमाण—पत्र वांछित है। 2. विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने के कारण अनर्ह किया गया है।
16.	<b>506538</b>	1. अभ्यर्थी द्वारा दिनांक 04.12.2017 को जारी भारत सरकार की सेवाओं के पदों के लिए अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। 2. अभ्यर्थी से उत्तराखण्ड राज्य के प्रारूप पर विज्ञापन की अन्तिम तिथि 24.12.2021 से पूर्व जारी अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र वांछित है। 3. अनुसूचित जाति का उत्तराखण्ड राज्य के प्रारूप पर वैध प्रमाण पत्र उपलब्ध न करने के कारण अनर्ह किया गया है।
17.	<b>506549</b>	1. अभ्यर्थी से विभागीय अनापत्ति प्रमाण—पत्र वांछित है। 2. विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने के कारण अनर्ह किया गया है।
18.	<b>506553</b>	1. अभ्यर्थी द्वारा रिसर्च पब्लिकेशन एवं टीचिंग अनुभव श्रेणी से सम्बन्धित दावा किया गया है। विषय—विशेषज्ञों द्वारा रिसर्च पब्लिकेशन के दावे को सही माना गया है, परन्तु टीचिंग अनुभव श्रेणी में 10 अंक के स्थान पर 08 अंक अनुमन्य किये गये हैं, जिस कारण अभ्यर्थी का कुल ए०पी०आई० स्कोर 91 अंक के स्थान पर 89 अंक होना है। अर्थशास्त्र विषय में GEN श्रेणी का कट—ऑफ स्कोर 91 है। अभ्यर्थी कट—ऑफ में स्थान धारित नहीं करती है। 2. अभ्यर्थी से विभागीय अनापत्ति प्रमाण—पत्र वांछित है। 3. अर्थशास्त्र विषय में GEN श्रेणी की कट—ऑफ में स्थान धारित न करने एवं विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने के कारण अनर्ह किया गया है।
19.	<b>506572</b>	1. अभ्यर्थी से विभागीय अनापत्ति प्रमाण—पत्र वांछित है। 2. विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने के कारण अनर्ह किया गया है।
20.	<b>506607</b>	1. अभ्यर्थी से विभागीय अनापत्ति प्रमाण—पत्र वांछित है। 2. विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध न करने के कारण अनर्ह किया गया है।
21.	<b>506650</b>	1. अभ्यर्थी द्वारा दिनांक 05.07.2021 को जारी EWS प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसमें आय की गणना वित्तीय वर्ष 2021–22 के आधार पर की गयी है। 2. अभ्यर्थी से वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु मान्य तथा वित्तीय वर्ष 2020–21 की आय की गणना के आधार पर जारी EWS श्रेणी से आच्छादित होने के सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र/आख्या एवं विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र वांछित है। 3. असिस्टेंट प्रोफेसर (राजकीय महाविद्यालय) चयन–2021 के विज्ञापन दिनांक 04.12.2021 के अनुसार EWS का वैध प्रमाण पत्र एवं विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने के कारण अनर्ह किया गया है।

22.	506655	<ol style="list-style-type: none"> <li>अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत यू०जी०सी० नेट प्रमाण पत्र की पाठनीय प्रति उपलब्ध नहीं की गयी है।</li> <li>अभ्यर्थी से अर्थशास्त्र विषय में धारित यू०जी०सी० नेट प्रमाण पत्र वांछित है।</li> <li>अर्थशास्त्र विषय में धारित यू०जी०सी० नेट प्रमाण पत्र की पाठनीय प्रति उपलब्ध न कराये जाने के कारण अनर्ह किया गया है।</li> </ol>
23.	506751	<ol style="list-style-type: none"> <li>अभ्यर्थी अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र दिनांक 22.03.2022 को जारी उपलब्ध कराया गया है, जो विज्ञापन की अन्तिम तिथि 24.12.2021 के पश्चात का है।</li> <li>अभ्यर्थी से विज्ञापन की अन्तिम तिथि 24.12.2021 से पूर्व का उत्तराखण्ड राज्य के प्रारूप पर अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र/सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आख्या कि—“अभ्यर्थी विज्ञापन की अन्तिम तिथि 24.12.2021 से पूर्व अनुसूचित जाति से आच्छादित है।”</li> <li>विज्ञापन की अन्तिम तिथि दिनांक 24.12.2021 से पूर्व का अनुसूचित जाति का वैध प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने के कारण अनर्ह किया गया है।</li> </ol>
24.	506758	<ol style="list-style-type: none"> <li>अभ्यर्थी से विभागीय अनापत्ति प्रमाण—पत्र वांछित है।</li> <li>विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने के कारण अनर्ह किया गया है।</li> </ol>
25.	506817	<ol style="list-style-type: none"> <li>अभ्यर्थी द्वारा स्नातकोत्तर BUSINESS ECONOMICS में धारित किया गया है। अर्थशास्त्र विषय में स्नातकोत्तर नहीं है, तदक्रम में अभ्यर्थी अनिवार्य शैक्षिक अर्हता धारित नहीं करती है।</li> <li>विज्ञापन के अनुसार अनिवार्य शैक्षिक अर्हता के अन्तर्गत अर्थशास्त्र विषय में धारित न करने के कारण अनर्ह किया गया है।</li> </ol>
26.	506824	<ol style="list-style-type: none"> <li>अभ्यर्थी से आरक्षण के दावे हेतु विज्ञापन की अन्तिम तिथि 24.12.2021 से पूर्व उत्तराखण्ड राज्य के प्रारूप पर अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र वांछित है।</li> <li>अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने के कारण अनर्ह किया गया है।</li> </ol>
27.	506829	<ol style="list-style-type: none"> <li>अभ्यर्थी द्वारा अर्थशास्त्र एवं राजनीति शास्त्र विषय हेतु आवेदन किया गया है। जिसके क्रम में परास्नातक अर्थशास्त्र की उपाधि प्रस्तुत की गयी है, परन्तु पी०एच०डी० अथवा नेट अर्थशास्त्र विषय में नहीं है। पी०एच०डी० एवं नेट PUBLIC ADMINISTARTATION में किया गया है।</li> <li>विज्ञापन के अनुसार अनिवार्य शैक्षिक अर्हता के अन्तर्गत अर्थशास्त्र विषय में पी०एच०डी० अथवा नेट धारित न करने के कारण अनर्ह किया गया है।</li> </ol>
28.	506830	<ol style="list-style-type: none"> <li>अभ्यर्थी से विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र वांछित है।</li> <li>विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने के कारण अनर्ह किया गया है।</li> </ol>
29.	506870	<ol style="list-style-type: none"> <li>विज्ञापन के अनुसार पी०एच०डी० (Ph.d) के लिए यू०जी०सी० के मानक के अनुसार परिशिष्ट—३ की उपाधि धारित करने से संबंधित प्रमाण पत्र वांछित है।</li> <li>पी०एच०डी० (Ph.d) के लिए यू०जी०सी० के मानक के अनुसार परिशिष्ट—३ में प्रमाण पत्र उपलब्ध न कराने के कारण अनर्ह किया गया है।</li> </ol>
30.	506888	<ol style="list-style-type: none"> <li>अभ्यर्थी से विभागीय अनापत्ति प्रमाण—पत्र वांछित है।</li> <li>विभागीय अनापत्ति प्रमाण—पत्र प्रस्तुत न करने के कारण अनर्ह कर दिया गया है।</li> </ol>
31.	506913	<ol style="list-style-type: none"> <li>अभ्यर्थी से आरक्षण के दावे हेतु विज्ञापन की अन्तिम तिथि 24.12.2021 से पूर्व जारी उत्तराखण्ड राज्य के प्रारूप पर अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र वांछित है।</li> <li>अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने के कारण अनर्ह किया गया है।</li> </ol>

32.	506918	<p>1. अभ्यर्थी द्वारा दिनांक 31.07.2021 का EWS प्रमाण पत्र जो कि वित्तीय वर्ष 2021–22 की आय के आधार पर जारी किया गया है।</p> <p>2. अभ्यर्थी से वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु मान्य तथा वित्तीय वर्ष 2020–21 की आय की गणना के आधार पर जारी EWS श्रेणी से आच्छादित होने के सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र/आख्या वांछित है।</p> <p>3. असिस्टेंट प्रोफेसर (राजकीय महाविद्यालय) चयन–2021 के विज्ञापन दिनांक 04.12.2021 के अनुसार EWS का वैध प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने के कारण अनर्ह किया गया है।</p>
33.	506951	<p>1. अभ्यर्थी से विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र वांछित है।</p> <p>2. विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध न करने के कारण अनर्ह किया गया है।</p>
34.	506980	<p>1. अभ्यर्थी द्वारा परास्नातक उपाधि कृषि अर्थशास्त्र विषय एवं यूजी0सी0 नेट उपाधि अर्थशास्त्र में धारित की गयी है।</p> <p>2. अभ्यर्थी परास्नातक कृषि अर्थशास्त्र (<b>Agricultural Economics</b>) से किया गया है। अर्थशास्त्र विषय में परास्नातक नहीं है, तदक्रम में अनिवार्य शैक्षिक अर्हता धारित नहीं करता है।</p> <p>3. विज्ञापन के अनुसार अनिवार्य शैक्षिक अर्हता के अन्तर्गत परास्नातक अर्थशास्त्र विषय में धारित न करने के कारण अनर्ह किया गया है।</p>
35.	507101	<p>1. अभ्यर्थी द्वारा टीचिंग अनुभव से सम्बन्धित दावा किया गया है। विषय–विशेषज्ञों द्वारा टीचिंग अनुभव श्रेणी में 10 अंक के स्थान पर 00 (शून्य) अंक अनुमन्य किये गये हैं, जिस कारण अभ्यर्थी का कुल ए0पी0आई0 स्कोर 35 अंक के स्थान पर 25 अंक होना है। ECONOMICS विषय में SC श्रेणी का कट–ऑफ स्कोर 35 है। अभ्यर्थी कट–ऑफ में स्थान धारित नहीं करता है।</p> <p>2. अभ्यर्थी से विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र वांछित है।</p> <p>3. अर्थशास्त्र विषय में SC श्रेणी की कट–ऑफ में स्थान धारित न करने एवं विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने के कारण अनर्ह किया गया है।</p>
36.	507137	<p>1. अभ्यर्थी द्वारा रिसर्च पब्लिकेशन, टीचिंग अनुभव एवं अवार्ड से सम्बन्धित दावा किया गया है। विषय–विशेषज्ञों द्वारा रिसर्च पब्लिकेशन के दावे को सही माना गया है, परन्तु टीचिंग अनुभव श्रेणी में 10 अंक के स्थान पर 4.75 तथा अवार्ड श्रेणी में 03 के स्थान पर 00 (शून्य) अंक अनुमन्य किये गये हैं, जिस कारण अभ्यर्थी का कुल ए0पी0आई0 स्कोर 91 अंक के स्थान पर 82.75 अंक होना है। ECONOMICS विषय में GEN श्रेणी का कट–ऑफ स्कोर 91 है। अभ्यर्थी कट–ऑफ में स्थान धारित नहीं करता है।</p> <p>2. अर्थशास्त्र विषय में GEN श्रेणी की कट–ऑफ में स्थान धारित न करने के कारण अनर्ह किया गया है।</p>
37.	507187	<p>1. अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र एवं अभिलेख एम0बी0ए0 उपाधि से सम्बन्धित उपलब्ध कराये गये हैं। अर्थशास्त्र विषय में स्नातकोत्तर नहीं है, तदक्रम में अनिवार्य अर्हता धारित नहीं करता है।</p> <p>2. विज्ञापन के अनुसार अनिवार्य शैक्षिक अर्हता अर्थशास्त्र विषय में धारित न करने के कारण अनर्ह किया गया है।</p>
38.	507189	<p>1. अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अर्थशास्त्र विषय में धारित यू0जी0सी0 नेट–जे0आर0ऑफ0 उपाधि जारी होने की तिथि 12.03.2022 तथा नेट परिणाम जारी होने की तिथि 19.</p>

		<p>02.2022 है, जो विज्ञापन की अन्तिम तिथि 24.12.2021 के पश्चात धारित की गयी है।</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. अभ्यर्थी से विज्ञापन की अन्तिम तिथि 24.12.2021 से पूर्व का अर्थशास्त्र विषय में धारित यू0जी0सी0 नेट-जे0आर0ऑफ0 उपाधि वांछित है।</li> <li>3. अनिवार्य शैक्षिक अर्हता के अन्तर्गत यू0जी0सी0 नेट-जे0आर0ऑफ0 विज्ञापन की अन्तिम तिथि को धारित न करने के कारण अनर्ह किया गया है।</li> </ol>
39.	<b>520464</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. अभ्यर्थी द्वारा स्नातक एवं परास्नातक अर्थशास्त्र विषय की उपाधि प्रस्तुत नहीं की गयी है। तदक्रम में अभ्यर्थी से स्नातक एवं परास्नातक अर्थशास्त्र की उपाधि वांछित है।</li> <li>2. अभ्यर्थी द्वारा स्नातक एवं परास्नातक अर्थशास्त्र की उपाधि प्रस्तुत न करने के कारण अनर्ह किया गया है।</li> </ol>

अभ्यर्थी उपरोक्त अनर्ह सूची के संबंध में यदि कोई आपत्ति व्यक्त करना चाहते हैं तो इस संबंध में साक्ष्यों सहित प्रत्यावेदन सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार-249404 के कार्यालय को दिनांक 24 नवम्बर, 2023 के सांय 06:00 बजे (शुक्रवार) तक व्यक्तिगत रूप से (कार्यालय दिवस सोमवार से शुक्रवार) अथवा डाक/अन्य किसी माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं। उक्त तिथि के पश्चात प्राप्त होने वाले प्रत्यावेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा।

-Sd/  
 (गिरधारी सिंह रावत)  
 सचिव।